वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं अनुसंधान एवं अस्पताल एवं अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 514/2017)

सितम्बर 5, 2017

(दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए.एम. खानविलकर और

डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगण)

शिक्षा/शैक्षिक संस्थान - मेडिकल कॉलेज - एमबीबीएस पाठ्यक्रम - मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा याचिकाकर्ता-कॉलेज का निरीक्षण, उसमें विभिन्न कमियां पाई गईं - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया तथा सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी ने रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ओवरसाइट कमेटी (ओसी) को भेज दिया। ओसी ने पाया कि कोई कमी नहीं थी। हालांकि ओसी की ऐसी राय के बावजूद दिनांक 31 मई, 2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को शैक्षणिक सत्र 2017-18 और 2018-19 के लिए छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आदेश को रद्द करने के लिए और इसके

अलावा, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु अनुमति के नवीनीकरण का निर्देश देने हेतु रिट याचिका पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को मामले को नए सिरे से करने के निर्देश जारी किए। सुनवाई समिति द्वारा याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई - प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने पहले के आदेश दिनांक 31 मई, 2017 की पुष्टि करते हुए आदेश पारित किया - अभिनिर्धारित सक्षम प्राधिकारी ने यांत्रिक रूप से सुनवाई समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया - इसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अभिवाक के संबंध में मामले की जांच नहीं की, जिसे ओसी का समर्थन मिला था। हालांकि, चूंकि निरीक्षण के दौरान एमसीआई द्वारा पाई गई कमियां महत्वपूर्ण और अनुज्ञेय सीमा से परे थी इसलिए याचिकाकर्ता को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए छात्रों को प्रवेश देने के अनुमति देने के निर्देश नहीं जारी किए जा रहे हैं - शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए लेटर ऑफ परमिशन (एलओपी) के नवीनीकरण की मंजूरी के लिए याचिकाकर्ता की याचिका अस्वीकार कर दी गई है। हालांकि, छात्र पहले ही शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए याचिकाकर्ता-कॉलेज में दाखिला लेने वालों को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति है - इसके अलावा, एमसीआई को निर्देश दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए एलओपी के नवीनीकरण के अनुदान पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ता-कॉलेज ने अपनी निरीक्षण टीम भेजें - मामले को आगे विचार के लिए रखा जाए - भारतीय चिकित्सा परिषद

अधिनियम, 1956 धारा 10 ए (4) मेडिकल कॉलेज विनियम, 1999 की स्थापना खंड 8(3)(1)(डी)।

मेडिकल कॉलेज विनियमों की स्थापना, 1999-सीआई.8(3)(1)(डी)-व्याख्या-याचिकाकर्ता की दलील है कि 26-27 अक्टूबर, 2016 को एमसीआई द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा सकता था। क्या उम्र तिथियां प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार (दिवाली) के बहुत करीब थी- अभिनिर्धारित उक्त खंड में कहा गया है कि केंद्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण धार्मिक और त्योहार की छुट्टियों से कम से कम 2 दिन पहले और 2 दिन बाद निरीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में निरीक्षण के पहले दिन 26 अक्टूबर, 2016 से गणना की गई थी - दिवाली 29 अक्टूबर, 2016 को थी, और इस प्रकार, उक्त निरीक्षण ने किसी भी तरह से सीआई.8 की अवहेलना नहीं की।

मामले को आगे विचार के लिए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1 सक्षम प्राधिकारी एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश की भावना के अनुरूप प्रासंगिक मामलों पर विचार करने में विफल रहे। इसने यांत्रिक रूप से सुनवाई समिति की सिफारिश को उलट दिया, जिसने 26-27 अक्टूबर, 2016 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा किए गए निरीक्षण के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति को दोबारा प्रस्तुत किया था। सक्षम प्राधिकारी

ने याचिकाकर्ताओं द्वारा लिए गए विशिष्ट अभिवाक के संबंध में मामले की जांच नहीं की, जिसे ओसी का समर्थन मिला था। ओसी ने अपनी सिफारिश में कहा कि संकाय की कमी केवल 06.18 प्रतिशत थी जो स्वीकार्य मानदंडों के भीतर थी। ओसी ने कहा कि मूल्यांकन करने वाली टीम ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि आगामी दिवाली त्योहार के कारण कुछ कर्मचारी छुट्टी पर थे और 4 स्टाफ सदस्य निर्धारित समय से देर से आए थे। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ओसी का समर्थन मिला। हालाँकि, न तो सुनवाई समिति और न ही सक्षम प्राधिकारी ने तथ्यात्मक मैट्रिक्स और विशेष रूप से, ताजा प्रतिनिधित्व सहित याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया। [पैरा 10] [725-डी-जी]

1.2 हालाँकि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने के लिए प्रतिवादियों को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह पाया गया है कि एमसीआई, जो एक विशेषज्ञ निकाय है, के द्वारा मूल्यांकन के दिन जो कमियाँ देखी गईं वह महत्वपूर्ण थीं और अनुमेय सीमा से परे थीं। शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के लिए लेटर ऑफ परमिशन (एलओपी) के नवीनीकरण के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि, निर्देश दिया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज में पहले से ही दाखिला ले चुके

छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाए। एमसीआई को निर्देश दिया जाता है कि वह दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता कॉलेज में अपनी निरीक्षण टीम भेजे और याचिकाकर्ता कॉलेज को यदि कोई कमी हो तो उसके बारे में सूचित करे, साथ ही उसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दूर करने का विकल्प भी देवें। याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज अपने अनुपालन की रिपोर्ट करेगा और कमी को दूर करने के बारे में एमसीआई को सूचित करेगा, जिसके बाद एमसीआई स्थिति को सत्यापित करने और फिर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगी। उक्त निरीक्षण का उद्देश्य शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए याचिकाकर्ता कॉलेज के पक्ष में एलओपी के नवीनीकरण पर विचार करना होगा। प्रतिवादियों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण आवेदन को शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए मानने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई बैंक गारंटी भुनाई नहीं जाएगी बल्कि उसे अगले आदेश तक जीवित रखा जाएगा। [पैरा 11, 14] [725-एच; 726-ए; 729-जी-एच; 730-ए-बी]

2. याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि 26-27 अक्टूबर, 2016 को निरीक्षण नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उक्त तारीखें एक प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार के बहुत करीब थीं, खंड 8 (3)(1)(डी) मेडिकल कॉलेज स्थापन विनियमन, 1999 की व्याख्या के मध्यनजर खारिज कर दी गई। उक्त खंड

में कहा गया है कि परिषद का कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के निरीक्षण महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों की छुटियां, जो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई, के कम से कम 2 दिन पहले और 2 दिन बाद नहीं किए जाएं। वर्तमान मामले में, जैसा कि मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया गया है, 26 अक्टूबर, 2016 को निरीक्षण के पहले दिन गणना की गई थी। दिवाली 29 अक्टूबर, 2016 को थी, और इस प्रकार, 26 अक्टूबर, 2016 को निरीक्षण से किसी भी तरह से खंड 8 की अवहेलना नहीं हुई। [पैरा 13] [729-बी-डी]

श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय अपने रजिस्ट्रार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2017 (11) स्केल 77 कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 2017 (11) स्केल 50 पर भरोसा किया।

ग्लोबल मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बनाम भारत संघ और अन्य। 2017 (8) स्केल 356 का उल्लेख किया गया है।

<u>केस कानून संदर्भ</u>

2017 (8)	पैमाना 356	निर्दिष्ट	पैरा 6
2017 (11)	पैमाना 77	संदर्भ	पैरा 12
2017 (11)	पैमाना 50	संदर्भ	पैरा 12

मूल क्षेत्राधिकार : रिट याचिका (सिविल) संख्या 514/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। अमित कुमार, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के लिए. गौरव भाटिया, अभिषेक सिंह, उत्कर्ष जयसवाल, प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा यह रिट याचिका परमादेश रिट या किसी उपयुक्त रिट करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 मई, 2017 को रदद करने के लिए पेश की, जिसमें प्रार्थी मेडिकल कॉलेज विद्यार्थियों के एमबीबीएस को शैक्षणिक सत्र 2017-18 और 2018-19 के लिए प्रवेश करने हेतु रोका गया था और प्रत्यर्थी संख्या 2 मेडिकल कॉसिंल ऑफ इंडिया "एमसीआई" को प्रार्थी द्वारा पेश बैंक गारंटी रुपये दो करोड को भुनाने के लिए अधिकृत किया था। इसके अलावा प्रत्यर्थीगण को प्रार्थी मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए अनुमति के नवीनीकरण की अनुमति देने और कॉलेज को चालू वर्ष के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया।

2. एक अम्मा चंद्रावती एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली ने झज्जर, हरियाणा में 'वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, झज्जर' के नाम से एक मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2016-17 से आगे

स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रतिवादी नंबर 1, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (संक्षेप में "MIIFW") को आवेदन किया था। इस न्यायालय द्वारा नियुक्त निरीक्षण समिति (संक्षेप में "ओसी") की राय के आलोक में, एमएचएफडब्ल्यू ने 20 अगस्त, 2016 के पत्र/आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को अकादमिक सत्र 2016-17 के लिए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन, जिसमें 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करना और अनुपालन के सत्यापन के लिए ओसी द्वारा किया जाने वाला निरीक्षण शामिल है, जारी की गई।

3. इसके बाद, एमसीआई ने 20 अगस्त, 2016 को जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों के सत्यापन के संबंध में 26-27 अक्टूबर, 2016 को एक मूल्यांकन किया और इस मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, एमसीआई की कार्यकारी समिति ने ने 22 दिसंबर, 2016 को हुई अपनी बैठक में याचिकाकर्ता कॉलेज में कुछ कमियां नोट कीं। एमसीआई ने 26 दिसंबर, 2016 के पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश सौंपी कि याचिकाकर्ता कॉलेज को दो शैक्षणिक सत्रों यानी 2017-18 और 2018-19 के लिए छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई बैंक गारंटी भुना ली जानी चाहिए। उक्त सिफारिश की प्राप्ति के बाद, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (संक्षेप में "डीजीएचएस") ने 17 जनवरी, 2017 को याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत

सुनवाई की और फिर अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को सौंप दी। रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"12. जबकि मंत्रालय ने डीजीएचएस द्वारा 17.01.2017 को कॉलेज को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देने का निर्णय लिया। सुनवाई समिति ने कॉलेज की मौखिक और लिखित प्रस्तुति पर विचार करने के बाद, मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अपनी रिपोर्ट में, सुनवाई समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

क्र.सं.	एमसीआई द्वारा दर्ज कराई गई कमियां	सुनवाई समिति की टिप्पणियाँ
1.	जैसा रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है, फैकल्टी की 29.23% कमी है।	संतोषजनक उत्तर नहीं।
2.	जैसा रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है, निवासियों की 28.26% कमी है।	संतोषजनक उत्तर नहीं।
3.	आकलन के दिन 34% बिस्तर अधिभोग हैं।	संतोषजनक उत्तर नहीं।
4.	मूल्यांकन के दिन सामान्य प्रसव और सिजेरियन सेक्शन शून्य था। लेबर रूम में शून्य महिला थी।	संतोषजनक उत्तर नहीं।
5.	आईसीयू:- मूल्यांकन के दिन आईसीसीयू	...

	और एमसीयू में शून्य मरीज थे, एनआईसीयू/पीआईसीयू में केवल 1 और एसआईसीयू में केवल 2 मरीज थे।	
6.	केंद्रीय पुस्तकालय: यह आंशिक रूप से वातानुकूलित है। छात्रों के वाचनालय (बाहर) और वाचनालय (अंदर) के बीच कोई अलगाव नहीं है।	मेडिकल कॉलेज में सत्यापन कराया जाएगा।
7.	एनाटॉमी विभाग: केवल 65 स्थापित नमूने हैं।	मेडिकल कॉलेज में सत्यापन कराया जाएगा।

4. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त रिपोर्ट को मार्गदर्शन के लिए ओसी को भेज दिया, जिसने 14 मई, 2017 के पत्र के माध्यम से एमएचएफडब्ल्यू को अपनी राय इस प्रकार बताई:

> "(i) संकाय: कॉलेज ने उन आधारों की व्याख्या की है जिन पर मूल्यांकनकर्ताओं ने 4 संकाय सदस्यों को स्वीकार नहीं किया था। 06.18 प्रतिशत संकाय की कमी स्वीकार्य सीमा के भीतर है।
>
> (11 छुट्टी पर + 4 देर से आने के कारण विचार में नहीं लिए गए, जो स्वीकार्य है: इसलिए कोई कमी नहीं है।

(ii) रेजिडेंट : - कॉलेज ने उन आधारों को समझाया जिनके आधार पर मूल्यांकनकर्ताओं ने रेजिडेंस को स्वीकार नहीं किया था। निवासी की कमी 08.69 प्रतिशत है (3 छुट्टी पर + 6 के देरी से आने के कारण विचार नहीं किया गया) जो स्वीकार्य है इसलिए कोई कमी नहीं है।

(iii) बिस्तर अधिभोग: - कॉलेज ने जो समझाया है, वह स्वीकार्य हैं और इसलिए कोई कमी नहीं है।

(iv) वितरण: - यह कमी व्यक्तिपरक है। कोई एमएसआर नहीं।

(v) आईसीयू: - यह कमी व्यक्तिपरक है। कोई एमएसआर नहीं।

(vi) केंद्रीय पुस्तकालय: - कॉलेज का स्पष्टीकरण स्वीकार्य है।

(vii)एनाटॉमी विभाग: यह कमी व्यक्तिपरक है। कोई एमएसआर नहीं.

एलओपी ने पुष्टि की"

5. ओसी की उपरोक्त राय के बावजूद, यह पुष्टि करते हुए कि कोई कमी नहीं थी, प्रतिवादी नंबर 1 ने 31 मई, 2017 को एक आदेश पारित किया, जिसके तहत उसने याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज को छात्रों को दो

शैक्षणिक सत्रों यानी 2017-18 और 2018-19 के लिए प्रवेश देने से रोक दिया और याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई बैंक गारंटी को भुनाने के लिए एमसीआई को अधिकृत भी किया।

6. व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने 3 जुलाई, 2017 को यह रिट याचिका दायर की और इसे ग्लोबल मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और रिसर्च सेंटर बनाम भारत संघ और अन्य जैसे समान मुद्दों से जुड़े मामलों के साथ सुना गया।' इस न्यायालय ने अपने निर्णय व आदेश दिनांक 1 अगस्त, 2017 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को मामले पर नए सिरे से विचार करने और कारण दर्ज करने के निर्देश जारी किए। आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "24. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ओवरसाइट समिति का गठन इस न्यायालय द्वारा किया गया है और उसे अधिनियम के तहत सभी वैधानिक कार्यों की देखरेख करने का भी अधिकार है, और इसके अलावा एमसीआई के सभी नीतिगत निर्णयों के लिए इसकी मंजूरी और सिफारिशों की आवश्यकता होगी, कम से कम यह बताने के लिए कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मुद्दे पर जैसा कि इस मुकदमे में है, किसी भी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती या विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है। ध्यान देने

योग्य है कि इस न्यायालय ने निरीक्षण समिति को उचित उपचारात्मक निर्देश जारी करने का अधिकार भी दिया है। हमारे विचार में, समग्र परिप्रेक्ष्य में, दिए गए सशर्त अनुमति पत्रों की पुष्टि के लिए याचिकाकर्ता संस्थानों/कॉलेजों के दावे पर रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर किसी भी तरह के अन्याय की संभावना को दूर करने के लिए नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।

25. उपरोक्त प्रेरक आधार पर, केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता कॉलेजों/संस्थानों को दिए गए अनुमति पत्र की पुष्टि या अन्यथा मुद्दे से संबंधित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया जाता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस अभ्यास को करने में, केंद्र सरकार रिकॉर्ड पर उपलब्ध एमसीआई, सुनवाई समिति, डीजीएचएस और निरीक्षण समिति की सिफारिशों/विचारों का पुनर्मूल्यांकन करे। यह आवश्यक सीमा तक याचिकाकर्ता कॉलेजों/संस्थानों को सुनवाई का अवसर भी प्रदान करेगा। आदेशानुसार सुनवाई और उस पर अंतिम तर्कसंगत निर्णय की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से आज से 10 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। निर्धारित

समय सीमा को पूरा करने के लिए पक्ष इस निर्देश के अनुपालन में सदैव सहयोग करेंगे।"

उपरोक्त आदेश के आलोक में, याचिकाकर्ताओं को 3 अगस्त, 2017 को प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष एक नई सुनवाई की अनुमति दी गई, जिसके दौरान याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी नंबर 1 को एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। ताजा सुनवाई के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 1 ने 10 अगस्त, 2017 को एक आदेश जारी किया, जिसमें उसके पहले के आदेश की पुष्टि की गई और उक्त अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया। आदेश का प्रासंगिक भाग यहां नीचे दिया गया है:

"16. अब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 01.08.2017 के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में, मंत्रालय ने 03.08.2017 को कॉलेज को सुनवाई की अनुमति दी। सुनवाई समिति ने कॉलेज के रिकॉर्ड और मौखिक और लिखित प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। सुनवाई समिति के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

समिति ने नोट किया कि निरीक्षण 26-27 अक्टूबर, 2016 को किया गया था। दिवाली 29 अक्टूबर को थी।

कॉलेज का यह तर्क कि निरीक्षण एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव के बहुत करीब था, को नकारा नहीं जा सकता।

नियमानुसार एमसीआई को प्रमुख त्योहारों से दो दिन पहले या बाद में निरीक्षण नहीं करना चाहिए। इस मामले में 26.10.2016 को निरीक्षण के पहले दिन से गणना करने पर यह दिवाली से 3 दिन पहले किया गया था।

इसके अलावा, 10 संकायों को मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा सत्यापित किया गया है, लेकिन उन्हें हेड काउंट में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे सुबह 11:00 बजे के निर्धारित समय के बाद आए थे। कॉलेज ने उन 27 संकाय/निवासियों के लिए घोषणा पत्र जमा किया है जिन पर एमसीआई ने विचार नहीं किया था। इन 27 कर्मचारियों के वेतन पर्चियों में बैंक खाते पैन/प्रान इत्यादि का विवरण नहीं।

कॉलेज ने एमसीआई विक्रेता से प्रस्तुत किया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन स्थापित की गई है। यह बताता है कि 140 संकाय उपलब्ध थे, जिनमें से 112 नामांकित थे, चूंकि यह निरीक्षण के बाद हुआ था, इसका निरीक्षण के दिन कमी की सीमा पर कोई असर नहीं पड़ता है।

कॉलेज द्वारा 62 प्रतिशत का बिस्तर अधिभोग का किया गया दावा आंकड़ा एमआरडी डेटा से समर्थित मूल्यांकनकर्ताओं ने केवल 34 प्रतिशत नोट किया है।

निरीक्षण में बताई गई कमियों की भयावहता को देखते हुए समिति दिनांक 31.05.2017 के पत्र द्वारा कॉलेज को 2 साल के लिए प्रतिबंधित करने और एमसीआई को बैंक गारंटी को भुनाने की अनुमति देने के मंत्रालय के निर्णय से सहमत है।

17. सुनवाई समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने 31.05.2017 के अपने पहले के फैसले को दोहराते हुए कॉलेज को दो साल की अवधि यानी 2017-18 और 2018-19 के लिए छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया और साथ ही एमसीआई को 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने के लिए अधिकृत किया।"

7. याचिकाकर्ताओं ने, उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, 2017 की आई.ए. संख्या 79050 वाली लंबित रिट याचिका में एक इंटरलॉक्यूटरी प्रार्थना पत्र दायर किया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 31 मई, 2017 और 10 अगस्त, 2017 द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसने याचिकाकर्ता कॉलेज को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर

दिया और प्रतिवादी नंबर 2 को याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने के लिए अधिकृत किया। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2016-17 के लिए एलओपी की पुष्टि करने के लिए आैर याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए अनुमति का नवीनीकरण प्रदान करें और याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 150 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दें। सशर्त एलओपी के आधार पर चालू वर्ष की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से संबंधित इस आवेदन के साथ रिट याचिका की की जाए।

8. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सक्षम प्राधिकारी ने एक बार फिर प्रासंगिक रिकॉर्ड पर विचार किए बिना एक यांत्रिक आदेश पारित किया है और ओसी की राय की पूरी तरह से उपेक्षा की है, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण पर उचित विचार के बाद दिया गया था, यह प्रस्तुत किया गया है कि निरीक्षण 26-27 अक्टूबर, 2016 को किया गया जो एक प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार के बहुत करीब था। यह तथ्य विवादित नहीं है कि दिवाली 29 अक्टूबर, 2016 को थी। किसी भी बड़े त्योहार से दो दिन पहले या बाद में निरीक्षण करने की अनुमति नहीं थी। यह शर्त त्योहार के कारण संकाय, रेजिडेंट, बिस्तर अधिभोग और अनुपस्थिति के संबंध में सही स्थिति का पता लगाने के लिए लगाई गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि निरीक्षण दल ने निर्धारित समय 11.00 एएम के बाद में आए कर्मचारियों/संकाय की उपस्थिति को नजरअंदाज करने में एक अति

तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ओसी का समर्थन मिला। इसके अलावा 27 स्टाफ सदस्यों के वेतन पर्ची के तथ्य पर बैंक खाते, पैन/प्रान आदि का विवरण नहीं था, लिपिकीय चूक की प्रकृति में था और बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक आवश्यकता से संबंधित नहीं था। यदि निरीक्षण करने वाली टीम को कोई संदेह था, तो वह अनुमति देने से इनकार करने के लिए उस तथ्य पर विचार करने से पहले खुद को आश्वस्त करने के लिए आगे की पूछताछ कर सकती थी। गौरतलब है कि कॉलेज ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन रिकॉर्ड जमा किया था लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि इसे निरीक्षण के बाद प्रस्तुत किया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने यांत्रिक रूप से एमसीआई द्वारा दिए गए उन्हीं कारणों को अपनाया, जो पहले के अवसर पर थे, जिसने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10 ए (4) के तहत वैधानिक उपाय को अर्थहीन बना दिया। अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया वैधानिक उपाय कॉलेज को एमसीआई द्वारा अपनी नकारात्मक सिफारिश में दर्शित किए गए तथ्य के खंडन में सामग्री प्रस्तुत करने हेतु सक्षम बनाना है। इसी प्रकार बिस्तर अधिभोग के संबंध में कॉलेज द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण जो एमआरडी डाटा द्वारा समर्थित थे, की उपेक्षा की गई है और इसके बजाय मूल्यांकन अधिकारी द्वारा की गई नोटिंग को प्राथमिकता दी गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता कालेज के संबंध में सक्षम अधिकारी को पूरे मामले पर लिए गए सिरे से पुनर्विचार करने और

कारणों को दर्ज करने के निर्देश का स्वीकृत उद्देश्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए यांत्रिक दृष्टिकोण से पराजित हो गया है। 14 मई, 2017 को अपने पत्र में ओसी द्वारा दर्ज की गई राय के संदर्भ में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया था। सक्षम प्राधिकारी ने कोई ठोस कारण नहीं बताया है कि ओसी की राय गलत या अस्वीकार्य क्यों थी। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिका और आवेदन की अनुमति दी जाए और उत्तरदाताओं को उचित निर्देश जारी किए जाएं।

9. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का तर्क होगा कि यह न्यायालय निरीक्षण निकाय की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर बैठने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जो एक स्वतंत्र निकाय है जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र से सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, जिसने एमसीआई द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर मामले का निर्णय लिया है। लिया गया निर्णय एक सुविचारित निर्णय है और याचिकाकर्ता कॉलेज को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की आवश्यकता वाले सभी प्रासंगिक मामलों से संबंधित है। दो शैक्षणिक सत्रों के लिए छात्रों को प्रवेश देने से रोकना और एमसीआई को याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने के लिए अधिकृत करना। उत्तरदाताओं ने अनिवार्य रूप से 26-27 अक्टूबर, 2016 को किए गए निरीक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी पर

आधारित मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सत्यापन और गणना 26 अक्टूबर, 2016 को की गई थी, जो दिवाली से तीन दिन पहले थी, जबकि दिवाली 29 अक्टूबर, 2016 को थी। तदनुसार, गणना 26 अक्टूबर, 2016 को की गई थी। वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं है. इसलिए, कॉलेज द्वारा ली गई कुछ विशिष्ट दलीलों के आधार पर मूल्यांकनकर्ताओं के निष्कर्षों को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही उनकी उपेक्षा की जा सकती है। इससे भी अधिक क्योंकि लगभग 27 स्टाफ सदस्यों के वेतन पर्चियों में भी विसंगति देखी गई, जिससे गंभीर संदेह पैदा हुआ। यह प्रस्तुत किया गया है कि मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लेखित बिस्तर अधिभोग के संबंध में निष्कर्ष को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एमआरडी डेटा पर भरोसा कर रहे हैं। एमआरडी डेटा में हेरफेर की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, मौके पर एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन को अधिक विश्वसनीयता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से जब एमसीआई और सक्षम प्राधिकारी जैसे वैधानिक प्राधिकारी ने इसे स्वीकार कर लिया हो। उत्तरदाताओं का तर्क है कि रिट याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

10. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हम याचिकाकर्ताओं से सहमत हैं कि सक्षम प्राधिकारी एक बार फिर 1 अगस्त, 2017 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश की भावना में प्रासंगिक मामलों पर विचार

करने में विफल रहे हैं। इसे यंत्रवत् रूप से विज्ञापित किया गया है सुनवाई समिति की सिफ़ारिश पर, जिसने 26-27 अक्टूबर, 2016 को किए गए निरीक्षण के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति को दोबारा प्रस्तुत किया है, सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए विशेष अभिवाक के संबंध में मामले की जांच नहीं की है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका का ओसी द्वारा समर्थन किया गया। ओसी ने 14 मई, 2017 को अपनी सिफारिश में कहा था कि संकाय की कमी केवल 06.18 प्रतिशत थी जो स्वीकार्य मानदंडों के भीतर थी। ओसी ने कहा था कि मूल्यांकन करने वाली टीम ने पूरी तरह से लापरवाही बरती है। इस तथ्य पर कि आगामी दिवाली त्योहार के कारण कुछ कर्मचारी छुट्टी पर थे और 4 कर्मचारी निर्धारित समय के बाद देर से आए थे, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ओसी का समर्थन मिला। हालाँकि, न तो सुनवाई समिति और न ही सक्षम प्राधिकारी ने तथ्यात्मक मैट्रिक्स और विशेष रूप से, ताजा प्रतिनिधित्व सहित याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण से निपटा है।

11. इस प्रकार कहने के बाद, हम याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि एमसीआई, जो एक विशेषज्ञ निकाय है, ने मूल्यांकन के दिन 29.23 प्रतिशत संकाय,

28.26 प्रतिशत निवासियों और 34 प्रतिशत बिस्तर अधिभोग की कमी देखी है, जिनमें से प्रत्येक अनुमेय सीमाओं से परे था। इसमें मूल्यांकन के दिन शून्य सामान्य प्रसव और शून्य सिजेरियन सेक्शन के तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा, मूल्यांकन के दिन एनआईसीयू/पीआईसीयू में केवल 1 और एसआईसीयू में 2 मरीज थे और आईसीसीयू और एमआईसीयू में कोई भी नहीं था। यह भी देखा गया है कि केंद्रीय पुस्तकालय आंशिक रूप से वातानुकूलित था और छात्र वाचनालय (बाहर) और छात्र वाचनालय (अंदर) के बीच कोई अंतर नहीं था। इसके अलावा, एनाटॉमी विभाग में केवल 65 घुड़सवार नमूने थे। दरअसल, सीओसी ने 14 मई, 2017 को अपने पत्र में कहा है कि संकाय, निवासियों और बिस्तर अधिभोग की कमियों के संबंध में कॉलेज द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार्य था और इसलिए, अनुमेय मानदंडों के भीतर था। जैसा कि पहले देखा गया है, सक्षम प्राधिकारी ने आक्षेपित निर्णय में याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया, लेकिन, जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, आक्षेपित निर्णय में कोई विश्लेषण नहीं पाया गया है कि इसे क्यों खारिज कर दिया गया और, इसके अलावा, कोई ठोस कारण नहीं है। यह सामने आ रहा है कि उसने ओसी द्वारा व्यक्त की गई राय से अलग होने का फैसला क्यों किया। साथ ही, हमने यह भी पाया कि ओसी ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा आक्षेपित निर्णय में देखे गए तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है कि कॉलेज के 27 स्टाफ सदस्यों के वेतन

पर्चियों में बैंक खाते, पैन का विवरण नहीं था। पीआरएएन आदि का तात्पर्य यह है कि कॉलेज द्वारा नियोजित 27 व्यक्तियों तक के कर्मचारियों के बारे में कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी जो काफी महत्वपूर्ण है और गंभीर संदेह पैदा करता है। ओसी द्वारा भेजे गए संचार में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कॉलेज द्वारा दावा किए गए 62 प्रतिशत बिस्तर अधिभोग के आंकड़े को क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए, जबकि मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए दिन किए गए भौतिक सत्यापन में केवल 34 प्रतिशत बिस्तर अधिभोग पाया गया था। ओसी ने इस बात का भी कोई कारण दर्ज नहीं किया है कि आईसीसीयू/एमआईसीयू/पीआईसीयू और एसआईसीयू में अधिभोग और इनडोर रोगियों का बेहद खराब स्तर अप्रासंगिक क्यों था। इनडोर मरीजों की अनुपस्थिति पूरे अस्पताल के प्रदर्शन पर एक प्रतिबिंब थी, जो अनिवार्य रूप से उक्त कॉलेज के छात्रों को उचित अनुभव और अनुभव से वंचित कर देगा। एमसीआई द्वारा देखी गई कमियाँ महत्वपूर्ण और अनुमेय सीमा से परे थीं और सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नए अभ्यावेदन सहित प्रासंगिक सामग्री पर ध्यान नहीं दिया है।

12. चूंकि हम उस तरीके से संतुष्ट नहीं हैं जिसमें सक्षम प्राधिकारी ने मामले को पुनर्विचार के लिए भेजने और कारण दर्ज करने के बावजूद मामले को संभाला है, हम श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रार और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, और कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज व

अन्य के मामले में अपनाए गए सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। बाद के मामले में, न्यायालय ने इस प्रकार कहा: -

> "21. हमारी समझ में प्रत्यर्थीगण ने इस न्यायालय के स्पष्ट निर्देश कि प्रत्यर्थीगण रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के संबंध में और एलओपी द्वारा याचिकाकर्ता कॉलेज/संस्थान को 12.09.2016 को प्रदान की गई मान्यता एवं अन्य विषय पर निष्पक्ष एवं संपूर्ण जांच करे, कोई प्रयास नहीं किया गया है। सच यह है कि विनियम प्रार्थी महाविद्यालय/संस्थान को शामिल चरणों के आधार पर एलओपी के लिए योग्य होने हेतु कुछ मानदण्ड प्रदान करते हैं, जिसका प्रार्थी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अनुपालन करना होता है। हालांकि, यह किसी कॉलेज की स्थापना आदेश को अस्वीकार करने से पहले संबंधित व्यक्ति या पमहाविद्यालय/संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कराने को अपरिहार्य आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है। जिस तरह से उत्तरदाता ने हस्तगत प्रकरण के तथ्यों में कार्य किया हो। उससे यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रक्रिया के दौरान कमी के आरोप का निर्णायक रूप से समर्थन नहीं करती है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। इस प्रकार हमारी सुविचारित राय है कि

उत्तरदाताओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया में लगातार चूक और कमियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता कॉलेज/संस्थान को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। घटनाओं की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, कथित कमियों का विरोध करने वाले अभ्यावेदन में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे, दिनांक 14.05.2017 को अपने संचार में ओवरसाइट समिति द्वारा व्यक्त की गई टिप्पणियाँ/विचार और 17.01.2017 को हुई सुनवाई में डीजीएचएस ने अस्वीकार कर दिया। आयोजित निरीक्षणों में एमसीआई के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई कमियों के संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और सभी प्रासंगिक पहलुओं को संतुलित करते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता कॉलेज/संस्थान को शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए 12.09.2016 को दी गई सशर्त एलओपी की पुष्टि की जानी चाहिए। हम तदनुसार ऑर्डर करते हैं। हालाँकि, चूंकि इसके तहत बनाए गए अधिनियम और विनियमों की परिकल्पना चिकित्सा शिक्षा के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए की गई है, हम केंद्र सरकार/एमसीआई को निर्देश देते हैं कि वह शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए याचिकाकर्ता कॉलेज/संस्थान का नए सिरे से निरीक्षण करें और इसके संबंध में आठ सप्ताह की

अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता कॉलेज/संस्थान को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उसे अधिनियम और विनियमों के तहत, यदि सलाह दी जाए, तो अपने उपचार का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके। केंद्र सरकार/एमसीआई याचिकाकर्ता कॉलेज/संस्थान द्वारा दी गई बैंक गारंटी को भुना नहीं पाएगी। फिलहाल, विवादित आदेश दिनांक 10.8.2017 को केवल इस सीमा तक संशोधित किया गया है। याचिकाकर्ता कॉलेज/संस्थान को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने के लिए उत्तरदाताओं को यह रिट, आदेश या निर्देश हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के संबंध में अस्वीकार की जानी है। रजिस्ट्री रिट याचिका और आई.ए. नंबर 73716/2017, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आठ सप्ताह की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद सूचीबद्ध होगी।"

श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा: -

"17. यद्यपि हमने ऐसा माना है, फिर भी हम यह उचित समझते हैं कि जिन छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए संस्थान में प्रवेश दिया गया है, वे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। एमसीआई दो महीने की अवधि के भीतर संस्थान में निरीक्षण दल भेजेगी। रिपोर्ट दाखिल होने के बाद, एमसीआई संस्थान को कमियों के संबंध में अवगत कराएगी और उसे दूर करने के लिए एक तारीख देगी ताकि संस्थान आवश्यक कार्य करने की स्थिति में हो। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि जो निरीक्षण किया जाएगा और आगे की कार्रवाई शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए की जाएगी। 16 18. जैसा कि हम निरीक्षण रिपोर्ट और कमियों और उस पर संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई की व्याख्या करना चाहते हैं। मामले को 15 नवंबर, 2017 को सूचीबद्ध करें। शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के लिए प्रस्तुत किए गए नवीनीकरण आवेदन को शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए आवेदन माना जाए है। जो बैंक गारंटी जमा कर दी गई है, उसे भुनाया नहीं जाएगा और यथावत् रखा जाएगा.."

13. जैसा भी हो, हम याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर वापस लौटेंगे कि 26-27 अक्टूबर, 2016 को निरीक्षण नहीं किया जा सका था, क्योंकि

उक्त तारीखें एक प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार के बहुत करीब थीं। इस मामले में मेडिकल कॉलेज विनियमन, 1999 के खंड 8(3)(1)(डी) की व्याख्या एवं न्यायिक दृष्टांत श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय (सुप्रा), जो अभिनिर्धारित करता है कि परिषद यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निरीक्षण केंद्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण धार्मिक और त्योहार की छुट्टियों से कम से कम 2 दिन पहले और 2 दिन बाद नहीं किए जाएं, को ध्यान में रखते हुए, इस तर्क को खारिज किया जाता है। वर्तमान मामले में जैसा कि मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, निरीक्षण के पहले दिन 26 अक्टूबर, 2016 से गणना की गई। दिवाली 29 अक्टूबर, 2016 को थी, और इस प्रकार, 26 अक्टूबर, 2016 को निरीक्षण से किसी भी तरह से खंड 8 की अवहेलना नहीं की गई। इसके अलावा, यदि याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति होगी जहां 26-27 अक्टूबर, 2016 की निरीक्षण रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करना होगा। चूंकि मेडिकल कॉलेज के लिए एलओपी अनुदान की व्यवहार्यता अनिवार्य रूप से ऐसी मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है, अगर उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है तो याचिकाकर्ताओं को नए सिरे से निरीक्षण के बिना किसी भी तरह की राहत नहीं मिल सकती है। हमारे लिए इस पहलू पर या याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए किसी अन्य विवाद पर विस्तार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि हम इस न्यायालय के उपरोक्त दो हालिया निर्णयों में बताए गए सिद्धांतों को अपनाने के इच्छुक हैं।

14. तदनुसार, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए पहले से ही याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाती है। हालाँकि, हम शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के लिए एलओपी के नवीनीकरण के अनुदान के लिए निर्देश जारी करने से इनकार करते हैं। हम एमसीआई को निर्देश देते हैं कि वह दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता कॉलेज में अपनी निरीक्षण टीम भेजे और याचिकाकर्ता कॉलेज को यदि कोई कमी हो, तो उक्त कमी के संबंध में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उसे हटाने के लिए विकल्प के साथ सूचित करें। याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज अपने अनुपालन की रिपोर्ट करेगा और कमी को दूर करने के बारे में एमसीआई को सूचित करेगा, जिसके बाद एमसीआई स्थिति को सत्यापित करने और फिर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगी। ध्यान दिया जाए कि उक्त निरीक्षण का उद्देश्य शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए याचिकाकर्ता कॉलेज के पक्ष में एलओपी के नवीनीकरण पर विचार करना होगा। हम उत्तरदाताओं को शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए प्रस्तुत नवीनीकरण आवेदन पर विचार करने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई बैंक गारंटी को भुनाया नहीं जाएगा, बल्कि उसे अगले आदेश तक यथावत् रखेगा। रजिस्ट्री मामले को दस सप्ताह के बाद आगे विचार के लिए रखेगी।

दिव्या पांडे मामले को आगे विचार के लिए रखा जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विक्रम सांखला (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।